छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख

द्वितीय अपील संख्या 171/2002

अपीलकर्ता प्रतिवादी : रवि शंकर

बनाम

उत्तरदाता वादी राजेंद्र कुमार और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 24-04-2007

सही /-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

समक्ष - माननीय न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख

द्वितीय अपील संख्या 171/2002

अपीलकर्ता प्रतिवादी: रविशंकर, उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता लखनलाल मिश्रा, निवासी ग्राम-सेमरसल, तहसील-मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदातागण / वादी 1. राजेंद्र कुमार, उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता श्री बाबूलाल दुबे, निवासी ग्राम-कधार, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

2. मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़), द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

1908 की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील सिविल प्रक्रिया संहिता,

उपस्थित:-

श्री पी.पी.साहू, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरदाता संख्या 1/ कैविएटकर्त्ता । श्री अखिल अग्रवाल, उत्तरदाता संख्या 2/राज्य के पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(24 अप्रैल, 2007 को घोषित किया)

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा निर्णय एव डिक्री दिनाँक-22.2.2002 सिविल अपील क्रमांक 23-ए 2000 को खारिज किए जाने तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मुंगेली द्वारा सिविल वाद क्रमांक 24-ए 1978 में पारित दिनांक 15.09.2000 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि , जिसमें वादगस्त भूमि पर कब्जे के लिए डिक्री पारित किया गया था, से व्यतीत होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत किया ।

2. इस अपील में निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं:

(क.) अपीलार्थी/प्रतिवादी के पास वाद भूमि ख.सं. 378/3 क्षेत्रफल 4.30 एकड़, ख.सं. 378/6 क्षेत्रफल 0.48 एकड़ और ख.सं. 380/3 क्षेत्रफल 0.05 एकड़, कुल क्षेत्रफल 4.83 एकड़ (इसके बाद 'वाद भूमि' के रूप में संदर्भित) का कब्जा है, जो 1973 से सेमरसल गांव में स्थित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ख. प्रतिवादी-वादी राजेंद्र कुमार (चंदन बाई के विधिक प्रतिनिधि, जिसे व्यवहार वाद संख्या 24-ए, 1978 के लंबित रहने के दौरान अभिलेख पर लाया गया था) द्वारा दायर एक बाद का वाद (व्यवहार वाद संख्या 19-ए, 1989) जिसमें चंदन बाई द्वारा 25.06.1979 को उनके पक्ष में निष्पादित एक पंजीकृत वसीयत के आधार पर 1.73 एकड़ क्षेत्र में ख.सं. 163/8 के संबंध में स्वामित्व, कब्जे और क्षति की घोषणा के लिए उनके पक्ष में डिक्री पारित किया गया था।

ग. व्यवहार वाद संख्या 24-ए वर्ष 1978 चंदन बाई द्वारा इस आधार पर संस्थित किया गया था कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने 21.09.1972 को अपने पक्ष में वादगस्त भूमि के कूटरचित पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करवा लिया था।

घ . सिविल वाद संख्या 19-ए/1989 में पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध रविशंकर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 82/1994 खारिज कर दी गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि 25-06-1979 को चंदन बाई ने साक्ष्य गवाहों की उपस्थिति में राजेंद्र कुमार दुबे के पक्ष में वसीयतनामा तैयार किया और उसे पंजीकृत भी करवाया, जिसके तहत प्रतिवादी/वादी राजेंद्र कुमार दुबे ने वादग्रस्त संपत्ति, अर्थात् खं. संख्या 163/8, क्षेत्रफल 1.73 एकड़, का स्वामित्व प्राप्त कर लिया, और इसलिए, रविशंकर, अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा राजेंद्र कुमार पांडे के

पक्ष में निष्पादित, विक्रय विलेख भूमि खसरा संख्या 163/8 क्षेत्र 1.73 एकड़ पर कोई वैध स्तत्व प्रदान नहीं करता है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि सिविल वाद संख्या 24-ए, 1978 की मूल वादी चंदन बाई ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी रविशंकर के विरुद्ध इस आधार पर कब्जा सरली हेतु का वाद दायर किया था कि 21.09.1972 को ₹14,500/- के एक कूटरचित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर, रविशंकर ने वादग्रस्त भूमि पर 1973 में जबरन कब्जा कर लिया था। चंदन बाई ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के लिए अनुतोष मांगी थी। वाद लंबित रहने के दौरान, चंदन बाई की मृत्यु हो गई। पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रतिवादी/वादी राजेंद्र दुबे को उनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

4. अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने इस आधार पर मुकदमे का विरोध किया कि चंदन बाई को बैंक ऋण और लिए गए ऋण तथा कामता प्रसाद नामक व्यक्ति से उसके व्यक्तिगत और कृषि व्यय के लिए पैसे की आवश्यकता थी, और इसलिए 21-09-1972 को 14,500/- रुपये का प्रतिफल प्राप्त करने के बाद, उसके पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया था और उसे वाद भूमि पर कब्जा दे दिया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. व्यवहार वाद क्रमांक 24-ए, 1978 में, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-I, मुंगेली ने प्रतिवादी/वादी राजेंद्र दुबे के पक्ष में और अपीलकर्ता/प्रतिवादी रविशंकर के विरुद्ध, इस आधार पर, वादगस्त भूमि पर कब्जा देने का आदेश पारित किया कि चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन सिद्ध नहीं हुआ। यह भी पाया गया कि 21.9.1972 का पंजीकृत विक्रय विलेख, जिसे चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में निष्पादित किया जाना बताया गया था, एक कूटरचित दस्तावेज़ था। राम खिलावन और पंचराम, जो 21.09.1972 के पंजीकृत विक्रय विलेख के सत्यापनकर्ता गवाह थे, की मृत्यु हो जाने के कारण उनका परीक्षण किया गया । सिविल वाद संख्या 24-ए, 1978 में वादी की ओर से साक्ष्य 15.02.2000 को शुरू हुआ, जिस दिन सिविल वाद संख्या 24-ए, 1978 की मूल वादी चंदन बाई भी जीवित नहीं थीं, इसलिए उनसे भी परीक्षण नहीं हो सकी। विक्रय पत्र के लेखक मनहरनलाल पाठक का भी परीक्षण वाद के किसी भी पक्ष द्वारा नहीं कराया गया।

6. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि 21.09.1972 का पंजीकृत विक्रय विलेख एक कूटरचित दस्तावेज़ था। इसने यह भी माना कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, द्वारा प्रथम अपील संख्या 82/1994 में पारित निर्णय और डिक्री के आधार पर, राजेंद्र दुबे प्रतिवादी/वादी ने

25.06.1979 की पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति का स्वत्व प्राप्त किया था और इसलिए, वह वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का हकदार था।

7. अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. पी. साहू ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश ने 21-09-1972 के पंजीकृत विक्रय पत्र को कूटरचित दस्तावेज़ साबित करने का प्रारंभिक भार प्रतिवादी/वादी पर डालने के बजाय, उक्त विक्रय पत्र की वास्तविकता स्थापित करने का भार अपीलकर्ता/प्रतिवादी पर डाल दिया, जो विधि के विरुद्ध था क्योंकि कुछ तथ्यों के अस्तित्वहीन होने को साबित करने का भार भी उसी पर होता है जो तथ्यों के अस्तित्वहीन होने का आरोप लगाता है। चंदन बाई का उसकी मृत्यु दिनाँक 06-05-1988 तक परीक्षण नहीं कराया गया था । जबकि मुकदमा उनके द्वारा दिनाँक 30-03-1978 को दायर किया गया था। न तो चंदन बाई और न ही उतरदाता /वादी ने राम खिलावन और पंचराम, गवाहों या मुंशी मनहरणलाल पाठक से उनके इस दावे के समर्थन में परीक्षण कराया गया कि चंदन बाई ने दिनाँक 21-09-1972 को रविशंकर के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया था। दिनाँक 21-09-1972 की बिक्री विलेख के संबंध में तथ्यों की गैरमौजूदगी को साबित करने के लिए चंदन बाई या राजेंद्र कुमार दुबे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी भी सबूत के अभाव में, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को यह मानना चाहिए था कि चंदन बाई या उत्तरदाता /वादी यह साबित करने के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे हैं कि 21-09-1972 की बिक्री विलेख एक कूटरचित दस्तावेज था। **अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह (2006)5 सुप्रीम कोर्ट केस 558 में प्रकाशित प्रकरण और एम. कृष्णास्वामी नायडू बनाम सचिव राज्य द्वारा तंजौर के कलेक्टर द्वारा प्रतिनिधित्व और अन्य ने ए.आई.आर. (30)1943 मद्रास 15** में प्रकाशित निर्णयों का अवलंब लिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. यह भी तर्क दिया गया कि दिनाँक 21-09-1972 का विक्रय विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज़ होने के कारण, इसकी प्रामाणिकता का अनुमान लगाया जा सकता है, जो पूरी तरह से अखंड़ित है क्योंकि उत्तरदाता /वादी ने अपने ऊपर भारित प्रारंभिक दायित्व को पूरा करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि रविशंकर के पास वाद भूमि पर 1973 से ही कब्जा है और उन्होंने न केवल अधीनस्थ न्यायालय में गवाही दी थी बल्कि नारायण प्रसाद ब.सा. -2 का साक्ष्य भी पेश किया था जिससे दिनाँक 21-09-1972 को चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित दिनाँक करने के तथ्य की पुष्टि हुई थी। यह भी तर्क दिया गया था कि चंदन बाई द्वारा राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में निष्पादित दिनाँक 25-06-

1979 की पंजीकृत वसीयत, जिसकी वैधता सिविल सूट संख्या 19-ए, 1989 और प्रथम अपील संख्या 82, 1994 में बरकरार रखी गई थी, से स्पष्ट रूप से पता चला कि राजेंद्र कुमार वसीयत के आधार पर वादभूमि पर तभी कब्जा कर सकते थे जब यह साबित हो जाए कि 21-09-1972 का बिक्री विलेख एक कूटरचित दस्तावेज था। इसलिए यह आग्रह किया गया कि सिविल वाद संख्या 19-ए, 1989 में राजेंद्र दुबे के पक्ष में पारित निर्णय और डिक्री जिसकी प्रथम अपील संख्या 82, 1994 में पुष्टि की गई, उत्तरदाता /वादी के कोई लाभ नहीं पहुंचाता ।

9. दूसरी ओर, उत्तरदाता /वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क किया कि उत्तरदाता /वादी पर प्रारंभिक भार यह साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों की गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए कि बिक्री विलेख दिनांक 21-09-1972 एक कूटरचित दस्तावेज था, को तथ्यों के अस्तित्व को दिखाकर , जो पहले से ही अभिलेख में थे, और उनके पक्ष में संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर बताया गया । इस तथ्य के मद्देनजर कि दोनों पक्षों ने 21-09-1972 के बिक्री विलेख से संबंधित सबूत पेश किए थे, सबूत के भार का सवाल अपनी प्रासंगिकता खो देगा। यह तर्क दिया गया था कि रविशंकर के पक्ष में चंदन बाई द्वारा 21-09-1972 के बिक्री विलेख को निष्पादित न करने के पक्ष में संभावना की भारी प्रबलता वाले तथ्यों के अस्तित्व को दिखाने पर, सबूत का भार अपीलकर्ता/प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो गया। अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चला कि उप पंजीयन , मुंगेली के समक्ष कोई प्रतिफल प्रस्तुत ही किया गया था । अपीलकर्ता/प्रतिवादी के साक्ष्य से यह भी सिद्ध हुआ कि उनके बीच वेशवासिक संबंध थे, जिसके कारण रविशंकर, अनपढ़ महिला चंदन बाई की वसीयत को प्रभावित करने की स्थिति में थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि चंदन बाई ने दिनाँक 21-09-1972 के विक्रय पत्र की विषयवस्तु को समझने और उससे सहमत होने के बाद ही अपने अंगूठे का निशान लगाया था। दिनाँक 21-09-1972 के पंजीकृत विक्रय पत्र के लेखक मनहरनलाल पाठक, यद्यपि उपलब्ध थे, परंतु उनका परीक्षण अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा नहीं कराया गया । यह भी दृढ़ता से आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने लिखित बयान में विशेष रूप से दलील दी थी कि चंदन बाई की मृत्यु पर, वह उत्तराधिकार द्वारा उसकी संपत्ति का हकदार था जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि चंदन बाई के लिए दिनाँक 21-09-1972 की बिक्री विलेख को रविशंकर के पक्ष में प्रतिफल के लिए निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नारायण प्रसाद ब.सा -2, जो रविशंकर का नजदीकी रिश्तेदार होने के नाते एक हितबद्ध गवाह था, की गवाही कि रविशंकर ने रजिस्ट्री के समय चंदन बाई को 14,500/- रुपये का भुगतान किया था, बिक्री विलेख पर एक पृष्ठांकन द्वारा गलत साबित हुई कि प्रतिफल का भुगतान उप पंजीयक, मुंगेली की उपस्थिति में नहीं किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में रमजान खान एवं अन्य बनाम बाबा रघुनाथ दास एवं अन्य, ए.आई.आर. 1992

एम.पी.-22 का अवलंब लिया गया है कि जहां एक निरक्षर व्यक्ति ने किसी दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था, वहां यह साबित करने का भार कि दस्तावेज को उस व्यक्ति को ठीक से समझाया गया था ताकि उसे उसका सही आशय समझ में आ सके, उस पर है ,जो दस्तावेज़ पर भरोसा करता है। अंत में, यह आग्रह किया गया कि व्यवहार वाद संख्या 19-ए/1989 में दर्ज निष्कर्ष जिसकी पुष्टि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या 82/1994 में किया गया कि उत्तरदाता /वादी ने चंदन बाई द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत वसीयत के माध्यम से वाद भूमि पर स्वामित्व प्राप्त किया था, अंतिम हो गया है। चूँकि अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने बाद के व्यवहार वाद संख्या 19-ए/1989 में या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 82/1994 में विक्रय विलेख के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए उसे 21-09-1972 को चंदन बाई द्वारा उसके पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन की दलील देने से रोक दिया गया था।

10. इस द्वितीय अपील में निर्धारण हेतु निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न उठते हैं:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) "क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में दिनांक 21-09-1972 को किए गए विक्रय विलेख को साबित करने का भार अपीलार्थी/प्रतिवादी पर डालना न्यायोचित था?

(ख) क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करना न्यायोचित था कि चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन सिद्ध नहीं हुआ था?

11. प्रतिद्वंदी तर्क सुनने के बाद, मैंने व्ययहार वाद संख्या 24-ए, 1978 के अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अध्याय-VII साक्ष्य के भार से संबंधित है। धारा-101 और 102 इस प्रकार हैं:-

101. सबूत का भार- जो कोई यह चाहता है कि कोई न्यायालय उसके द्वारा अभिकथन किए गए तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, तो उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य विद्यमान हैं।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो यह कहा जाता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है।

102. सबूत का भार किस पर है- किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो असफल हो जाएगा यदि किसी भी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य न दिया गया हो।

12. यह स्थापित कानून है कि सिविल मामलों में सबूत का भार आपराधिक मामलों जितना सख्त नहीं होता और इसे उस व्यक्ति के पक्ष में मौजूद संभावनाओं की भारी प्रबलता दिखाकर उसका निर्वहन मुक्त किया जा सकता है, जो उन तथ्यों के अस्तित्वहीन होने का आरोप लगा रहा है, जिनका वह दावा करता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-102 में निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, सवाल यह होगा कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया तो मामले का भाग्य क्या होगा। जाहिर है, चूंकि 21-09-1972 की बिक्री विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज थी, इसलिए इसकी वास्तविकता के बारे में अनुमान लगाया जाएगा और उतरदाता /वादी विफल हो जाएगा। इसलिए, शुरू में यह साबित करने का भार कि दिनाँक 21-09-1972 की बिक्री विलेख कूटरचित थी, आवश्यक तथ्यों के अस्तित्वहीनता को साबित करने का भार उत्तरदाता /वादी पर था। जहां दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वहां कुछ तथ्यों के अस्तित्वहीन होने का अभिवचन करने वाले पक्ष के लिए, दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का हवाला देने का विकल्प खुला था कि चंदन बाई द्वारा दिनांक 21-09-1972 के विक्रय विलेख के निष्पादन को सिद्ध करने के लिए आवश्यक ऐसे तथ्य अस्तित्वहीन थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. **अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह (पूर्वोक्त**) में, प्रश्न यह था कि विक्रय विलेख के निष्पादन से संबंधित मुद्दे को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों मुद्दों पर विचार किया था, अर्थात् सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में। अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह (**पूर्वोक्त**) में, तथ्य यह थे कि जिस विक्रय विलेख को कूटरचित बताया गया था, उसके पहले एक विक्रय करने का करार समझौता हुआ था और अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में वादपत्र के उन आरोपों से इंकार और खंडन किया था कि वह एक प्रभावशाली स्थिति में थे और पक्षकारों के बीच एक वेशवासिक संबंध मौजूद था। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई विक्रय करने का करार समझौता अस्तित्व में नहीं दिखाया गया है। अपीलकर्ता-प्रतिवादी रविशंकर ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि चंदन बाई एक वृद्ध महिला थीं और निःसंतान थीं तथा पूरी तरह से उन पर निर्भर थीं। नारायण प्रसाद ब.सा. -2 ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि रविशंकर चंदन बाई, जो पूरी तरह से उन पर निर्भर थीं, के संबंध में हर चीज़ का ध्यान रखते थे। इस मामले के दृष्टिकोण से, चंदन बाई और रविशंकर के बीच वेशवासिक संबंध का अस्तित्व स्पष्ट रूप से स्थापित है । रविशंकर ने एक शब्द भी नहीं कहा कि चंदन बाई ने बैंक से ऋण लिया था या उसे किसी कामता प्रसाद से लिए गए ऋण

को चुकाना था या उसे अपने व्यक्तिगत या कृषि खर्चों के लिए पैसे की आवश्यकता थी। कामता प्रसाद का परीक्षण नहीं कराया गया । चंदन बाई द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज न तो दाखिल किया गया और न ही साबित किया गया। दूसरी ओर, उन्होंने स्वीकार किया कि चंदन बाई ने उनसे कभी कोई ऋण नहीं लिया। अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, बिक्री करने करार था जो बिक्री विलेख से पहले हुआ था, जिसे कूटरचित दस्तावेज बताया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, रविशंकर ने खुद स्वीकार किया कि चंदन बाई ने उनसे कभी कोई ऋण नहीं लिया और चंदन बाई द्वारा बिक्री के लिए कोई करार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चंदन बाई के जीवनकाल के दौरान चंदन बाई के स्वामित्व वाली पूरी जमीन पर उनका कब्जा था नारायण प्रसाद (ब.सा -2) ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया की चंदन बाई के पास 14-15 एकड़ की भूमि थी उस प्रकार उसके पास आरामदायक जीवन यापन करने के पर्याप्त साधन थे। अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान के पैरा-10 में स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि चंदन बाई की मृत्यु के बाद उनकी संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी वही होता। इस प्रकार, उत्तरदाता / वादी द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों का अस्तित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है जो इस बात की प्रबल संभावना दर्शाते हैं कि दिनाँक 21-09-1972 का विक्रय विलेख एक कूटरचित दस्तावेज़ था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि चंदन बाई, जो एक वृद्ध और अशिक्षित महिला थीं, ने विक्रय विलेख की विषयवस्तु को समझने के बाद दिनांक 21-09-1972 का विक्रय विलेख निष्पादित किया था। जहाँ तक विक्रय के प्रतिफल का प्रश्न है, नारायण प्रसाद, ब.सा -2 की यह गवाही कि रजिस्ट्री के समय रविशंकर ने चंदन बाई को 14,500/- रुपये का भुगतान किया था, पूरी तरह से झूठी साबित होती है, क्योंकि विक्रय विलेख पर ही यह पृष्ठांकित है कि उप-पंजीयक, मुंगेली की उपस्थिति में कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था।

15. यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तरदाता /वादी ने अपने एक पूर्व वाद (व्यवहार वाद संख्या 19-ए, 1989) में चंदन बाई द्वारा दिनाँक 25-06-1979 को अपने पक्ष में पंजीकृत वसीयत के निष्पादन को स्थापित किया था, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील संख्या 82, 1994 में बरकरार रखा था। वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चंदन बाई ने उसमें उल्लेख किया है कि रवि शंकर द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक कूटरचित बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। उत्तरदाता /वादी राजेंद्र कुमार ने अपनी गवाही में स्पष्ट दावा किया था कि रवि शंकर द्वारा चंदन बाई से निष्पादित किया गया बिक्री विलेख एक कूटरचित दस्तावेज था। यह गवाही जिरह में पूरी तरह से अखंडित रही। इस प्रकार, अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने अपने पक्ष में संभावना की

मजबूत प्रबलता दिखाकर वसीयत की वैधता का गठन करने वाले तथ्यों की गैर-मौजूदगी को साबित करने के प्रारंभिक भार का निर्वहन किया था। इसलिए, 21-09-1972 के बिक्री विलेख की वैधता साबित करने के लिए तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने का भार अपीलकर्ता/प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो गया। अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने बिक्री विलेख के लेखक मनहरण लाल पाठक, जो जीवित थे उसका परीक्षण नहीं कराया । नारायण प्रसाद, ब.सा -2 एक हितबद्ध और संयोग गवाह है। उनकी गवाही विक्रय विलेख की विषयवस्तु से झूठ साबित होती है, जिससे पता चलता है कि मुंगेली के उप-पंजीयक की उपस्थिति में रविशंकर से चंदन बाई को प्रतिफल हस्तांतरित नहीं हुआ था। रविशंकर का चंदन बाई के साथ एक वैश्वासिक संबंध था और वह उनके उत्तराधिकारी होने के नाते प्रभावशाली स्थिति में थे और उनकी संपूर्ण संपत्ति के स्वामी थे। इसलिए चंदन बाई के लिए रविशंकर के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करना आवश्यक नहीं था। नारायण प्रसाद ब. सा. -2 की गवाही से पता चलता है कि केझा, जो दस्तावेज़ के निष्पादन के समय मौजूद थे, भी मौजूद थे। गवाही की तारीख़ को न्यायालय में पेश हुए। हालाँकि, केझा का भी रविशंकर द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं:-

(क) रविशंकर का चंदन बाई के साथ वैश्वासिक संबंध था और वह उसकी वसीयत पर हावी होने की स्थिति में था, क्योंकि चंदन बाई हर चीज के लिए पूरी तरह से रविशंकर पर निर्भर थी।

(ख) चंदन बाई को रविशंकर के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो पहले से ही उनके उत्तराधिकारी होने के नाते वाद भूमि पर काबिज थे। यह सिद्ध नहीं होता कि चंदन बाई ने बैंक ऋण या कामता प्रसाद नामक किसी व्यक्ति से ऋण लिया था या उसे अपने निजी या कृषि खर्चों के लिए धन की आवश्यकता थी।

(सी) दिनांक 21-09-1972 को उप पंजीयक, मुंगेली के समक्ष रविशंकर द्वारा चंदन बाई को विक्रय लेनदेन का प्रतिफल नहीं दिया गया।

(घ) यह भी साबित नहीं हुआ है कि दिनांक 21-09-1972 के विक्रय विलेख की विषय-वस्तु चंदन बाई को समझाई गई थी और चंदन बाई ने दस्तावेज समझाए जाने और उसकी सहमति के बाद ही अंगूठे का निशान लगाया था।

(ई) रविशंकर ने व्यवहार वाद संख्या 19-ए/1989 में बिक्री विलेख के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और केवल यह दलील दी कि वह चंदन बाई का उत्तराधिकारी है।

(एफ) वर्तमान मुकदमे में भी अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने लिखित बयान में दलील दी थी कि चंदन बाई का उत्तराधिकारी होने के नाते वह वाद भूमि का मालिक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(छ) 1973 से वाद भूमि पर कब्जे का तथ्य अपीलकर्ता/प्रतिवादी के लिए कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि चंदन बाई के उत्तराधिकारी होने के नाते, उनके जीवनकाल में ही उनकी पूरी संपत्ति पर उनका कब्जा था। इसलिए, केवल कब्जे का तथ्य ही बनाता है । चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन की दलील को विस्वसनीय नहीं बनाता है ।

17. उपर्युक्त के आधार पर, विधि के सारवान प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:

(1) यह दिखाने के लिए कि दिनांक 21-09-1972 का विक्रय विलेख एक कूटरचित दस्तावेज था, तथ्यों के अस्तित्वहीनता को साबित करने का प्रारंभिक भार प्रतिवादी/वादी द्वारा अपने पक्ष में संभाव्यता की प्रबल प्रबलता दिखाकर तथा अपनी अखंडित गवाही के द्वारा बताया गया था , रविशंकर के पक्ष में चंदन बाई द्वारा दिनांक 21-09-1972 के विक्रय विलेख के निष्पादन को साबित करने का भार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता/प्रतिवादी पर सही रूप से स्थानांतरित किया गया था।

(2) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करना कि चंदन बाई द्वारा रविशंकर के पक्ष में बिक्री विलेख का निष्पादन साबित नहीं हुआ,न्यायोचित है !

19. व्यवहार वाद संख्या 19-ए, 1989 में, प्रतिवादी/वादी ने पंजीकृत वसीयत के माध्यम से वादगस्त भूमि पर स्वामित्व प्रमादित करने में सफलता प्राप्त की थी, चंदन बाई द्वारा उसका निष्पादन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या 82, 1994 में पुष्टि किया गया था । इस प्रकार, वह अपीलकर्ता/प्रतिवादी से वादगस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का हकदार था। इस प्रकार, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी/वादी के पक्ष में वाद का डिक्री सही ढंग से पारित किया है । परिणामस्वरूप, यह अपील अस्वीकार की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

डिक्री तैयार किया जावे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

दिलीप रावसाहेब देशमुख,

न्यायाधीश

24-04-2007

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ....तेजस्विता नंदिनी शाह ....